(9)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 23/2021

रामोतार मीणा, ग्रा0पो0 भडौन्दा खुर्द, तहसील व जिला झुंझुनूं पिनकोड 333024

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 17.03.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 15.02.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 23/2021 पर दिनांक 15.02.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/628–629 दिनांक 15.02.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक आरटीआई/2021/192 दिनांक 15.03.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री रामोतार मीणा निवासी भडौन्दा खुर्द द्वारा चाही गई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक आरटीआई/2021/175 दिनांक 25.02.2021 के द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं पत्रांक आरटीआई/2021/192 दिनांक 15.03.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री रामोतार मीणा निवासी भडौन्दा खुर्द द्वारा चाही गई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक आरटीआई/2021/175 दिनांक 25.02.2021 के द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 17.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं